कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, RTI भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ

पत्रांक: 143 / उ0प्र0सू0आ0 / रजिस्ट्रार 1(1) / 2019 दिनांक: 03 :सितम्बर:2019

कार्यालय आदेश

यह बिन्दु संज्ञान में आया कि कतिपय मामलों में धारा 6(1) के अन्तर्गत् आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जन सूचना अधिकारी के द्वारा उक्त आवेदन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत् अन्य लोक प्राधिकरण में इस आशय से अंतरित कर दिया जाता है, कि जो सूचना मॉगी गई है वह अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है।

ऐसे मामलों में यह देखने में आता है कि कई बार आवेदक उस लोक प्राधिकरण में प्रथम अपील प्रस्तुत करता है, जहॉ कि धारा 6(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत् आवेदन अंतरित किया गया है, तथा कुछ मामलों में आवेदक उसी लोक प्राधिकरण में प्रथम अपील प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके द्वारा मूल रूप से धारा 6(1) का आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त मामलों में आयोग के रजिस्ट्री अनुभाग में द्वितीय अपील की संवीक्षा के समय यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी द्वितीय अपीलों का क्षेत्राधिकार किस सुनवाई कक्ष को होगा। इस सम्बन्ध में यह निर्धारित किया जाना उचित होगा कि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा धारा 6(3) के अन्तर्गत् कोई आवेदन अंतरित किये जाने पर द्वितीय अपील का क्षेत्राधिकार प्रथम दृष्टया उसी लोक प्राधिकरण के विरुद्ध उत्पन्न होगा, जहॉ धारा 6(3) के अन्तर्गत् आवेदन अंतरित किया गया है। ऐसे में रजिस्ट्री अनुभाग द्वारा द्वितीय अपील उपरोक्त आधार पर, सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले सुनवाई कक्ष को प्रेषित की जायेगी। तदोपरॉत संबंधित सुनवाई कक्ष मामले पर सम्यक विचारोपरॉत यह निर्णय ले सकेगा कि धारा 6(3) के अन्तर्गत् जन सूचना अधिकारी के द्वारा, आवेदक का आवेदन अंतरित करने का जो निर्णय लिया गया है, वह उचित है या नहीं तथा इस सम्बन्ध में संबंधित सुनवाई कक्ष के द्वारा जो भी आदेश पारित किया जायेगा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आदेश प्राप्ति के दिनॉक से डाक संवीक्षा पटल के कर्मचारीगण उपरोक्तानुसार द्वितीय अपीलों का क्षेत्राधिकार निर्धारित करेगें।

यह आदेश मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(प्रशान्त बिलगैयॉ)
रजिस्ट्रार

1) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि वह मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

2) प्रतिलिपि निजी सचिव, समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण को इस आशय से कि वह मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

3) संबंधित कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।

(प्रशान्त बिलगैयॉ)
रजिस्ट्रार